



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263902
CG-DL-E-18062025-263902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]
No. 158]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 05/2025

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेस्ड ग्लास बूल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा जांच – के संबंध में।

1. फा. सं. 7/09/2025 .—मेसर्स यू.पी. टिवगा फाइबर ग्लास लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "रोल्स में फेस्ड ग्लास बूल" (जिसे आगे

संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने का अनुरोध किया है।

क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच 24.9.2019 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच शुरूआत अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीटीआर दिनांक 22.12.2020 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18.3.2021 के माध्यम से लागू किया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 17.3.2026 तक वैध है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेस्ड ग्लास वूल" है जिसे फाइबर ग्लास वूल (इन्सुलेशन मटेरियल) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल भी कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद भारत में कई रूपों में आयात किया जाता है जैसे रोल, स्लेब, शीट आदि। वर्तमान याचिका विचाराधीन उत्पाद को तब कवर करने की मांग करती है जब उन्हें भारत में रोल में आयात किया जाता है।
5. चूंकि वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए है, इसलिए पीयूसी का दायरा मूल जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा, जो निम्नानुसार है:

"2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेस्ड ग्लास वूल" है, जिसे फाइबर ग्लास वूल (इन्सुलेशन मटेरियल) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल भी कहा जाता है।

3. ग्लास वूल में कंबल और स्लेब/बोर्ड बनाने के लिए बाइंडर के साथ संयुक्त महीन ग्लास फाइबर होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लास को फाइबराइजिंग मशीन से गुजारना और स्पिनरों से नियंत्रित तरीके से फाइबर को रोटेटिंग स्पिनरों की केन्द्रीय क्रिया द्वारा निकालना शामिल है, बाइंडर को एक साथ स्प्रे किया जाता है और फिर रोल, कंबल आदि बनाने के लिए क्योरिंग ओवन से गुजारा जाता है।

4. ग्लास वूल में आम ग्लास बनाने वाले कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर सिलिका सैंड, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), फेल्डस्पार, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट शामिल होते हैं। उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री में रिसाइकिल ग्लास कललेट और खरीदी गई शीट ग्लास कललेट शामिल हैं। कच्ची सामग्री को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिश्रित किया जाता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस/गैस फर्नेस में एक साथ डाला जाता है, जहां इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। धारा को भट्टी से टैप किया जाता है और फोरहर्थ नामक कंडीशनर में डाला जाता है, जहां कांच को ऐसे तापमान पर लाया जाता है जहां इसे फाइबराइज़ किया जा सकता है।

6. इस उत्पाद का मुख्य उपयोग धातु और कंक्रीट की इमारतों के निर्माण, इमारतों की कूलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ध्वनिक अनुप्रयोग, जहाज निर्माण, रेलवे

और ऑटोमोबाइल सहित परिवहन उद्योग में होता है। इस उत्पाद में गैर-दहनशील और अग्नि सुरक्षित गुणों के अलावा बेहतर थर्मल और ध्वनिक प्रदर्शन की अंतर्निहित शक्ति है। इस उत्पाद का उपयोग करके भवन उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करती हैं और इस उत्पाद के अनुप्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बढ़ रहे हैं।

7. संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्षक 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 7019 1900, 70193900, 70195900 आदि के अंतर्गत किया जा रहा है। किसी भी मामले में, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक उद्देश्यों के लिए है और शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए वस्तुओं का विवरण ही मान्य होगा।

8. आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने मूल जांच में विचार किए गए अनुसार मोटाई, घनत्व और फेसिंग के प्रकार के आधार पर पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। आवेदक द्वारा सुझाई गई पीसीएन पद्धति नीचे दी गई है।
9. प्रस्तावित पीसीएन में, पहले दो अंक उत्पाद के घनत्व (किलोग्राम/मीटर क्यूब में) को दर्शाते हैं, अगले तीन अंक उत्पाद की मोटाई (मिलीमीटर में) को दर्शाते हैं, अगले दो अंक पहले फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं और अंतिम दो अंक नीचे दिए गए कोड के अनुसार दूसरे फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं। यदि कोई दूसरा फेसिंग नहीं है, तो हितबद्ध पक्षकार "00" का उपयोग कर सकता है।
10. विभिन्न फेसिंग के लिए कोडिंग निम्नानुसार प्रस्तावित है

फेसिंग के प्रकार	पीसीएन में संगत संख्या
एएलजी	01
बीजीसी	02
बीजीटी	03
डीएसएफएसके	04
एफजीटी	05
एफएसके	06
एमपीएफ	07
आर 303 एचडी	08
डब्ल्यूएमपी-50	09
डब्ल्यूएमपी-वीआर	10
डब्ल्यूएमपी-वीआर आर प्लस	11
कोई भी	12
कोई नहीं (केवल दूसरे फेसिंग के मामले में)	00

11. उदाहरण के लिए 12 किलोग्राम/मी³ घनत्व, 100 मिमी मोटाई और एफएसके की पहली फेसिंग तथा दूसरी फेसिंग न होने वाले ग्लास बूल के लिए पीसीएन 12-100-06-00 होगा।

12. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा निम्नलिखित प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य साहित), यदि कोई हो तो जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

ग. समान वस्तु

13. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों और अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

15. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

16. यह आवेदन मेसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबर ग्लास लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक देश में कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा रखता है। उन्होंने इस आशय के आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ में याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

17. मूल जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. था। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध देश मूल जांच के समान ही है।

च. जांच अवधि (पीओआई)

18. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी 2024 – 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का आधार**i. सामान्य मूल्य**

19. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। इसलिए, आवेदक ने दावा किया है कि उसी के अनुसार, किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। तथापि, इसके बारे में कोई सत्यापन योग्य या प्रकाशित साक्ष्य नहीं है। इसलिए, जांच के शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन प्राधिकारी द्वारा भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

20. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के अनुसार की गई है। चीन जन. गण. के लिए कीमत समायोजनों में समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन/व्यापारी के लाभ और गैर-वापसी योग्य वैट के आधार पर दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

21. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी अधिक भी है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं, जिससे यह पता चलता है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर जारी रहा है।

ज. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और कारणात्मक संबंध

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिकूल कीमत प्रभाव अर्थात् कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है, जिसके कारण लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकदी प्रवाह में कमी आई है। इसके अलावा,

आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से भी प्रथमदृष्ट्या एडी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और परिणामी क्षति की संभावना का संकेत मिलता है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

23. आवेदक या घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने और बढ़ाने की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

24. समीक्षा में दिनांक 22.12.2020 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।
25. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा पर यथा आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

26. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
34. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो और/या ऐसी अन्य सूचना जिसके सूचना प्रदाता द्वारा के गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता के दावे वाली सूचना के सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
36. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और गोपनीयता का दावा की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
38. हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों के आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
40. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
41. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई-मेल के जरिए भेज दें।

ण. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा या बाद में अलग पत्र द्वारा प्रदत्त समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

Case No. AD(SSR)- 05/2025

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on Imports of Faced Glass Wool originating in or exported from China PR – reg.

1. **F. No.7/09/2025.**— M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited (hereinafter also referred to as the Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for sunset review of Anti-dumping duty imposed on imports of “Faced Glass Wool in Rolls” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “Product under consideration” or “PUC”) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).
2. The applicant alleged the likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from subject country and consequent injury to the Domestic Industry, and have requested for review and enhancement of the anti-dumping duty imposed on the subject goods, originating in or exported from subject country.

A. BACKGROUND of PREVIOUS INVESTIGATION

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject country was initiated on 24.9.2019 by the Designated Authority vide its initiation notification No. 6/23/2019 DGTR. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject country vide its final findings notification No.6/23/2019-DGTR dated 22.12.2020. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 14/2021-Customs (ADD) dated 18.3.2021 for a period of five years. The current Anti-dumping duty is valid up to 17.3.2026.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The Product under Consideration in the present investigation is “Faced Glass Wool in rolls” also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool. The Product under Consideration is imported into India in many forms e.g., rolls, slabs, sheets etc. The present petition seeks to cover the Product under Consideration when they are imported into India in rolls.

5. As the present application is for initiation of a sunset review investigation, the scope of the PUC remains same as defined in the original investigation which is as follows:

“2. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Faced Glass Wool in Rolls” also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool.

3. Glass wool consists of fine glass fibers combined with binder to make blankets and slabs/boards. The process involves passing glass through a fiberizing machine and drawing fibers in a controlled manner from spinners by centrifugal action of rotating spinners, binder is sprayed simultaneously and then passed through curing oven to form rolls, blanket etc.

4. Glass wool uses common glass-making raw materials, typically consisting of Silica sand, soda ash (sodium carbonate), Feldspar, dolomite, limestone and Borax Penta hydrate. Other materials used are recycled glass cullet and bought out sheet glass cullet. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together into an electrical furnace/ gas furnace where it is heated to approximately 1500°C. The stream is tapped from furnace and is fed into a conditioner called forehearth where the glass is brought to a temperature where it can be fiberized.”

6. The product finds major uses in construction of metal and concrete building, heating, ventilation and air conditioning system to provide cooling services to buildings, acoustic application, shipbuilding, transport industry including railways and automobiles. The product has inherent strength of superior thermal and acoustic performance in addition to non-combustible and fire safe properties. Buildings achieve high energy efficiency by using this product and applications of this product have been increasing for different purposes.
7. The subject products are classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The subject goods are being imported under various sub-headings like 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 70191900, 70193900, 70195900 etc. of the Customs Tariff Act, 1975. In any case, the customs classification is for indicative purposes only and the description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.
8. The applicant has proposed adoption of Product Control Numbers (PCN) for the purpose of fair comparison between different types/forms of the product. The Applicant has proposed the PCN system on the basis of thickness, density and the type of facing as considered in the original investigation. The PCN methodology suggested by the applicant is provided below.

9. In the proposed PCN, first two digits represent the density of the product (in Kg/metre cube), next three digits represent the thickness of the product (in millimeters), next two digits represent the type of first facing and the last two digits represent the type of second facing as per the codes given below. If there is no second facing, the interested party may use "00".
10. The coding for the different facings is proposed as follows

Type of Facing	Corresponding number in PCN
ALG	01
BGC	02
BGT	03
DSFSK	04
FGT	05
FSK	06
MPF	07
R303 HD	08
WMP-50	09
WMP-VR	10
WMP-VR R Plus	11
Any other	12
None (only in case of second facing)	00

11. For instance, the PCN for Glass Wool of density as 12 Kg/m³, thickness of 100 mm and first facing of FSK with no second facing will be 12-100-06-00.
12. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and following propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of receiving intimation of the initiation of the investigation.

C. LIKE ARTICLE

13. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

14. The applicant has submitted that subject goods which, are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. The applicant has further claimed that there are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. In addition, applicant also claimed that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti-Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

15. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"'domestic industry' means the domestic producers as a Whole of the Like Article or domestic producers whose collective output) at of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged clamped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry"

16. The application has been filed by M/s M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The Authority notes that the applicant holds 100% share in total domestic production in the country. They have also furnished necessary certifications to the effect that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or importer of the subject goods from the subject country. Therefore, the Authority has considered the petitioner as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra

E. SUBJECT COUNTRY

17. The subject country in the original investigation was China PR. The present investigation being a sunset review investigation, the subject country is same as the original investigation.

F. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

18. The Period of investigation for the present application is from 1st January 2024 – 31st December 2024 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2021-22, 2022-23, 2023 -24 and the period of investigation.

G. BASIS OF LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

i. **Normal Value**

19. The Applicant has submitted that the Normal Value for China PR should be determined as per Para 7 of the Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995. Therefore, the Applicant has claimed that pursuant to the same, efforts were made to determine normal value on the basis of prices or constructed value in an appropriate market economy third countries or price from such a third countries to other countries, including India. However, there is no verifiable or published evidence regarding the same. Therefore, for the purpose of initiation of the investigation, the normal value in China PR for the subject goods has been constructed by the Authority on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

ii. **Export Price**

20. The export price for subject goods from China PR has been computed based on the basis of DG Systems transaction wise import data. Price adjustments for China PR have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, port expenses and commission/trader's profit.

iii. **Dumping Margin**

21. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin determined is not only above de-minimis level but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from China PR have continued to be exported at dumped prices, in spite of anti- dumping duty in force.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CASUAL LINK

22. The Authority notes that there is prima facie evidence of continuation of injury to the domestic industry on account of adverse price effect i.e., price undercutting, price suppression leading to reduced profits, return on capital employed (ROCE) and cash flows. Further, the data provided by the applicant also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the Anti-dumping duty.

I. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued and enhancement of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

24. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No.6/23/2019-DGAD dated 22.12.2020 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
25. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
27. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
30. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. TIME LIMIT

31. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
32. All the interested parties are here by advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause

for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions
34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submissions.
39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties.

O. NON-COOPERATION

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority